भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1483**

09 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय: तमिलनाडु में पीएम-डीडीकेवाई का कार्यान्वयन**

1483. श्री नवसकनी के.:

श्री सी. एन. अन्नादुरईः

श्री जी. सेल्वमः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु के कम कृषि उत्पादन वाले जिलों को उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (पीएम-डीडीकेवाई) के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ख) इन जिलों में पीएम-डीडीकेवाई के अंतर्गत शुरू की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है, जिसमें व्यापक किसान समर्थन हेतु ग्यारह केन्द्रीय मंत्रालयों की छत्तीस योजनाओं को एकीकृत करना शामिल है;

(ग) क्या सरकार ने इन जिलों में फसल की पैदावार बढ़ाने, सिंचाई कवरेज और विविधीकरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु में पीएम-डीडीकेवाई के अंतर्गत प्रभावकारी समन्वय, लाभ को समय पर प्रदान करना और किसानों की आय में सुधार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): तमिलनाडु के 4 जिलों, रामनाथपुरम, विरुधुनगर, शिवगंगा और तूतुकुडी को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) के अंतर्गत चयनित किया गया है।

इस स्कीम का उद्देश्य (1) कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, (2) फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, (3) पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोपरांत भंडारण क्षमता बढ़ाना, (4) सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और (5) दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। यह स्कीम 11 विभागों की 36 मौजूदा स्कीमों, अन्य राज्य स्कीमों के संयोजन और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

इस स्कीम के प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला धन धान्य समिति को संबंधित स्टेकहोल्डर्स के परामर्श से जिला कार्य योजना को अंतिम रूप देने का कार्य सौंपा गया है। लक्ष्यों और परिणामों को प्राप्त करने के लिए अभिसरण और गतिविधियों के जिला कार्य योजना रोडमैप का पालन किया जाएगा।

प्रत्येक धन-धान्य जिले में स्कीम की प्रगति की निगरानी डैशबोर्ड के माध्यम से प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के जरिए की जाएगी।

*****